

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक

उप कुलपति
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय
जौनपुर



पत्रांक पूर्ववि/सम्बन्ध/01/01/2008/3368
दिनांक 09-1-08

सेवा में

प्रबन्धक
सुशीला राय महिला महाविद्यालय,
सशरणाग्र 30 जगमहा

विषय : स्ववित्तापोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, भूगोल एवं अंग्रेजी विषय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-02.01.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में स्ववित्तापोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	प्रवक्ता
डॉ. धर्मवीर यादव	श्री राममूरत यादव	01-04-77	हिन्दी
श्री अशोक कुमार राय	श्री भगवती सिंह	01-12-68	समाजशास्त्र
डॉ. ज्ञानेन्द्र नारायण राय	श्री वंश नारायण राय	02-10-72	प्राचीन इतिहास
डॉ. आदित्य नारायण पाठक	श्री मंगला प्रसाद पाठक	01-07-69	संस्कृत
डॉ. सुजीत कुमार	डॉ. वासुदेव विश्वकर्मा	20-09-80	भूगोल
डॉ. गीता राय	श्री राम कृष्ण राय	05-05-70	अंग्रेजी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,


उप कुलपति
सम्बन्धता

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2015/ 10817
दिनांक: 11-03-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुशीला राय महिला महाविद्यालय,
राय मोहन, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-अंग्रेजी विषय में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-06.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ० देवेन्द्र सिंह	श्री फतेहबहादुर लाल श्रीवास्तव	10.12.1955	एम०ए०, पी०एच०डी०-2013	अंग्रेजी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्रांक: पू०वि०वि०- / राग्व. / 01.64(ती-1)07 / 70

दिनांक- 31-1-08

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुशीला राय महिला महाविद्यालय,
सरायमोहन, आजमगढ़।

विषय:- सुशीला राय महिला महाविद्यालय, सरायमोहन, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत चयनित प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-16.01.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने निम्न को प्राचार्य पद पर शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।

प्राचार्य,

1. डा. धर्मेन्द्र लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव 20.08.1954

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,


उपकुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2015/ 9803
दिनांक: 19-01-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुशीला राय महिला महाविद्यालय,
सराय मोहन, आजमगढ़।

विषय:- सुशीला राय महिला महाविद्यालय, सराय मोहन, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-समाजशास्त्र, हिन्दी, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-17.10.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ० एकता सिंह	श्री के०पी० सिंह	03.08.1981	एम०ए०, पी०एच-डी०-2012	समाजशास्त्र
2	श्री अरुण कुमार यादव	श्री बाबूराम यादव	10.10.1986	एम०ए०, नेट जून-2013	हिन्दी
3	डॉ० अंजू सिंह	श्री देव नारायण सिंह	10.10.1982	एम०ए०, पी०एच-डी०-2009	गृहविज्ञान
4	डॉ० संदीप कुमार सिंह	श्री दरोगा पुत्र	10.05.1980	एम०ए०, पी०एच-डी०-2008	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।

नोट- यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव